न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 07 / 2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मुलदान पुत्र मोड़दान, जाति चारण, निवासी–जाजुसण तहसील व जिला–सांचौर		1 कैलाशदान पुत्र केसरदान 2 महेशदान पुत्र केसरदान 3 वेनीदान पुत्र केसरदान 4 कुपदान पुत्र केसरादान 5 कुरी कंवर पत्नी केसरदान जातियान–चारण, निवासीगण जाजुसण, तहसील व जिला–सांचौर 6 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 04.09.2020

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01.08.2024

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि सरहद मौजा जाजूसण, पटवार हल्का–हाड़ेतर, तहसील–सांचौर में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का नलकूंप, कुंआ एवं ढाणी स्थित है। प्रार्थी को उक्त खेत व ढाणी में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 112 रकबा 3.40 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम चाही प्रथम में से 4 मीटर रास्ता निकटतम कटान मार्ग से प्रार्थी के खेत में पहुंचने का निकटमत मार्ग है। उक्त आवेदित रास्ता उपयुक्त व सुविधाजनक भी है। मौके पर पूर्व में आवागमन था, परन्तु प्रार्थी ने अभी चलने से मना कर दिया है। खसरा संख्या 112 के साथ ही ग्राम जाजुसण का खसरा संख्या 114 जो पगडंडी व रास्ते हेतु आरक्षित है, इस भूमि में वर्षों पुराने गोगाजी का मंदिर सगत माताजी का मंदिर है, जहां पूजा अर्चना हेतु अन्य लोग भी आते है। अतएव संलग्न नक्शानुसार लाल स्याही से दर्शित स्थान से प्रार्थी को रास्ता की सुविधा पाने का कानूनी हकदार होने से राजस्व प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि ग्राम जाजुसन पटवार मण्डल हाड़ेतर, तहसील–सा[illegible]सरा संख्या 113 रकबा 6.14 हैक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा संख्या 112 रकबा 3.[illegible] हैक्टे[illegible] में से रास्ते की मांग की गई है एव उक्त आवेदित मार्ग का सर्वाधिक निकटतम [illegible]जरी नक्शा में केवल खसरा संख्या 114 रकबा 0.53 हैक्टेयर तक ही प्रस्तावित बताया है। साथ ही खसरा 114 रकबा 0.53 हैक्टेयर खाता संख्या 1 में राजस्थान [illegible]रकार के नाम दर्ज है, आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है अतः प्रार्थना–पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन से काबिल–ए–खारिज है। प्रस्तावित नजरी नक्शानुसार उक्त आवेदित मार्ग प्रार्थी के खातेदारी खेत को लिंक नहीं करता है, अतः प्रार्थना–पत्र अपूर्ण व अपोषणीय है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:59:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के खेत में जाने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार खसरा संख्या 173 से होकर निकटतम मार्ग है। प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग लंबा है, जबकि इससे निकटतम दूरी के विकल्प उपलब्ध है, अतः केवल मात्र अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने हेतु राजस्व प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, जो आधारहीन व अपोषणीय होने से खारिज योग्य है।

बहस वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सुनी गई। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज, नजरी नक्शा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 17.11.2022 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251'क' में निम्नालिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जो में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या ना मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है –

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस भूमि में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:59:55 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा संख्या 113 में पहुंचने हेतु कोई रेकडर्ड

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

मार्ग तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक सांचोर की मौका जांच रिपोर्ट 17.11.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग जिसकी खसरा संख्या 112 एवं 114 से मांग की गई है उसकी दूरी निकटतम कटान मार्ग से 257 मीटर है तथा खसरा संख्या 181 व खसरा संख्या 173 में से वैकल्पिक मार्ग की दूरी कटान मार्ग से 187 मीटर है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा हेतु दुरस्थ स्थान से मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, अत प्रार्थी का राजस्व प्रार्थना–पत्र भली प्रकार साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली प्रकार साबित नहीं होने एवं कटान मार्ग से निकटतम दूरी का मार्ग प्रस्तावित नहीं करने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:59:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner